

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

ईमेल-cfoalm.ukfs@gmail.com.

जनपद

अल्मोड़ा।

पत्रांक: न-6/सीएफओ-अ0सु0/2024(1)

दिनांक: जनवरी 16, 2024।

स्वामी/प्रबंधक

Maharishi Vidya Mandir

Papparishi, Near Forest Office, NTD

Almora


विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।


कृपया आपके प्रार्थनापत्र ए0यू0 आई0डी0 नम्बर -24009397 दिनांक 04-01-2024 के अनुसार **Maharishi Vidya Mandir, Papparishi, Near Forest Office, NTD, Almora** का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा की निरीक्षण आख्या दिनांक 13-01-2024 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। स्कूल के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड- '0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण' के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा तथा अनिवार्य रूप से अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जायेगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोड़ा की उपरोक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर **Maharishi Vidya Mandir, Papparishi, Near Forest Office, NTD, Almora** दिनांक जनवरी 14, 2023 से दिनांक दिनांक 13, 2027 तक अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आधार पर निर्गत किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाय:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्नि काण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि भूमि/भवन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रकट की जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

*Self Attested*  
  
(B. B. Bhatt)  
Principal  
Maharishi Vidya Mandir  
Sr. Sec. School, Almora (U.K.)

  
(नरेन्द्र सिंह कुंवर)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
अल्मोड़ा